संख्याओं से संबंधित प्रश्न

साभार: द हिन्दू
(23 सितम्बर, 2017)

वेंकटरमन
(संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (भारतीय राजव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न पैदा हुआ है कि क्या मुख्यमंत्री इडाप्पाडी के पलानीस्वामी राज्य विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए अपनी मूल जिम्मेदारी को समझते हुए यह राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारियों के बीच उल्लेखनीय रूप से संबंधित है। वैसे इस मामले में राज्यपाल स्पष्ट रूप से इस फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ है। मुख्यमंत्री सदन में अपनी बहुमत साबित करने के लिए उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रहे हैं कि असंतुष्टों को किसी भी संभावित विश्वास मत से बाहर रखा जाये। विपक्ष के नेता ने कोई आत्मविश्वास का प्रस्ताव नहीं उठाया है, बल्कि यह इसके विपरीत, मानता है कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे।

सत्तारूढ़ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके), जिसने विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी की आधी शक्ति को कमजोर बना दिया है, के असंतुष्ट विधायकों ने कुछ अन्य नेता के साथ श्री पलानीस्वामी विधायिका पार्टी की बैठक के लिए नहीं पूछा और तो और मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार के विधायिका बहुमत या इसके अभाव के विषय में मुख्य प्रश्न से जूझने के बजाय, दो अजीब अंतरिम आदेश पारित कर दिया है, अर्थात जो न्यायिक डोमेन के बाहर के मामलों पर शक्तियों के पृथक्करण और स्पर्श के सिद्धांत के विपरीत हैं।

अदालतों में

देखा जाये तो उच्च न्यायालय, विद्रोही समूह, सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कड़घम (द्रमुक), के बीच चल रहे तीन तरह के राजनीतिक मुकाबले के लिए रणनीतिक मैदान बन गया है, जबकि यह विधायी कक्ष होना चाहिए। पहला निर्णायक कदम टी. टी.वी दिनाकरण के 19 विधायकों से संबंधित है, जो जेल जा चुकी और पूर्व अन्ना द्रमुक की महासचिव वी.के. शशिकला के भतीजे है। द्रमुक नेता, एम.के. स्टालिन, जो विधानसभा में विपक्ष के प्रमुख भी है, ने राज्यपाल से एक मांग की, कि वह फ्लोर टेस्ट का आदेश दे, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया है। राज्यपाल ने कुछ हफ्तों तक इस पर विचार नहीं किया जिसके बाद ये मद्रास उच्च न्यायालय के पास इसलिए गये ताकि न्यायालय राज्यपाल को मुख्यमंत्री को विश्वास मत साबित करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करे।

फिर इसके बाद अयोग्यता सामने आई, जिसके परिणामस्वरूप विस्थापित विधायकों ने अदालत से भी संपर्क किया। इस प्रकार, दो मुद्दों, जहाँ सवाल यह है कि क्या राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए और क्या अध्यक्ष विद्रोहियों को अयोग्य ठहराए हुए सत्ताधारी पार्टी की मदद कर रहे हैं और इस तरह अल्पमत से बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, अब दोनों मुद्दे अदालत के सामने हैं।

राज्यपाल की भूमिका

राजनीतिक गतिरोध का मुख्य कारण राज्यपाल विद्यासागर राव की चुप्पी है। प्रश्न यह है कि क्या फ्लोर टेस्ट के अनुरोध पर कार्य नहीं करना उचित है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल की गई टिप्पणियों के चलते, उनकी निष्क्रियता संभवत: उचित है। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश संकट से निपटने के दौरान, एक संविधान खंडपीठ ने कहा था, राजनीतिक दल के अंदर की गतिविधियों, अशांति की पुष्टि या उसके रैंकों के भीतर अशांति, राज्यपाल की चिंता से परे हैं। कौन नेता होना चाहिए या नहीं एक राजनैतिक पार्टी का, एक राजनीतिक सवाल है, जिसे राजनीतिक दल स्वयं निजी तौर पर सुलझा सकता है। राज्यपाल इस तरह के मुद्दों को अपनी चिंता का विषय नहीं बना सकता है। यह कहा गया कि एक भगदड़ समूह वैध और पहचानने योग्य हो सकता है, यदि एक तिहाई पार्टी का गठन हो, जैसा कि दसवीं अनुसूची में निर्धारित है और राज्यपाल इस तरह के एक समूह के दावों पर कार्रवाई का संवैधानिक पाठ्यक्रम। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी के भीतर का विद्रोह जब तक विधायिका में दो तिहाई अंक को न छूए, तब तक राज्यपाल को कार्य नहीं करना चाहिए। बल्कि यहाँ खंडपीठ के अनुसार संवैधानिक संकट के दौरान इसके लिए विकल्प मौजूद है, ''जब सरकार सदन में विश्वास मत खो देती है।'' इसलिए, फैसले यह है कि अदालत ने राज्यपाल को राजनीतिक विवाद में उलझने से रोक दिया, लेकिन इन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्य से नहीं रोका है।

जैसा कि राज्यपाल ने एक उचित आशंका पर काम नहीं किया है कि पलानीस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है, तो क्या डीएमके की याचिका पर राज्यपाल को बहुमत सिद्ध करने का निर्देश मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत किया जाना चाहिए? यह देखते हुए कि यह मामला जो राज्यपाल के विवेक के अधीन आता है, तो क्या ऐसी याचिका औचित्यपूर्ण है? जब मामला सामने आया था, तो अदालत का ध्यान वकील द्वारा व्यक्त किए गए डर के लिए तैयार किया गया था कि अध्यक्ष एक पृथक सदन में बहुमत को लाने के प्रयास में असंतुष्टों को अयोग्य घोषित करने की योजना बना रहा है। नतीजतन, एक संभावित फ्लोर टेस्ट का आदेश पारित किया गया। इसे न्याय के हितों में कहा गया था, अन्यथा सरकार वोट के जरिए आगे बढ़ सकती थी। कुछ दिनों में ही, अयोग्यता सिद्ध हुई और एक बार फिर, स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, अदालत ने रोक नहीं लगाई।

यह स्पष्ट नहीं है कि फ्लोर टेस्ट को रोकने के लिए संविधान में अदालत के लिए कौन सा प्रावधान है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण जरूर हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 और 2005 में उत्तर प्रदेश और झारखंड में 'समग्र फ्लोर टेस्ट' का आदेश दिया था, लेकिन इसके दिशा-निर्देशों की काफी आलोचना हुई थी। इसके अलावा, उनकी अनुपस्थिति में आत्मविश्वास के वोट को संभवत: अपनाने से पीड़ित व्यक्तियों को अयोग्य विधायकों का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए, केवल उनके अयोग्यता या एक अंतरिम दिशा में रहने के कारण उन्हें

बहुमत सिद्ध करने के दौरान मतदान करने की इजाजत देनी चाहिए, जिससे न्याय के हितों को पूरा किया जा सकता था। हालांकि, इस संवैधानिक रूप से स्वीकार्य पाठ्यक्रम को अपनाने के बजाय, दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता न्यायसंगत है, जबकि विधायी एजेंडों को स्थापित करना न्यायिक अधिकार के बाहर है, इसलिए अदालत ने विश्वास मत बने रहने का फैसला किया। इसी प्रकार, डर को संबोधित करने के लिए कि उप-चुनावों के तहत 18 रिक्त सीट भरे जा सकें, अदालत ने उप-अधिसूचना के लिए एक अधिसूचना के मुद्दे को रोक दिया। अयोग्य ठहराए जाने से, उन अयोग्य घोषित लोगों के भय को संबोधित किया जाना चाहिए, साथ ही विस्तारित होने वाले फ्लोर टेस्ट पर संदिग्ध रहने की आवश्यकता को दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद, केवल संवैधानिक रूप से प्रासंगिक सवाल है कि क्या राज्यपाल को ट्रस्ट वोट का आदेश देने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए? संवैधानिक प्रश्नों का फैसला करते समय, अदालतों को 'सुविधा के संतुलन' के नागरिक कानून सिद्धांत का सहारा नहीं लेना चाहिए और सभी दलों को कुछ राहत देने के लिए आदेश जारी करना चाहिए।

18 विधायकों की अयोग्यता के लिए चुनौती का मुख्य आधार 2011 के कर्नाटक मामले के फैसले से संबंधित है, जब बी.एस. येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर अयोग्यता को खारिज कर दिया था कि अध्यक्ष ने अपर्याप्त मौका और समय दिया था, लेकिन यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को बदलने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया प्रस्ताव में गवर्नर के पास पहुंचने से सदन से हटाने की कड़ी कार्रवाई को आकर्षित नहीं किया जा सकता था। अध्यक्ष धनपाल के आदेश ने ऐसे कई मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी प्रस्ताव के खिलाफ जांच की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्रियों में आत्मविश्वास की कमी व्यक्त करने से पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ने की संभावना नहीं हो सकती।

अयोग्य चाल: एक फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले न्यायनिर्णय के लिए अयोग्य याचिकाएं उठाना अब एक पैटर्न बन गया है। विद्रोही विधायकों को अयोग्य घोषित करना मुख्यमंत्रियों के बहुमत को सुनिश्चित करने का एक पसंदीदा तरीका है। विधेयक के प्रश्नों के फैसले के बारे में निर्णय करने के लिए प्राधिकरण को उस समय के कानून में संशोधन करने का समय आ गया होगा। जब फर्श परीक्षण बहुमत के लिए एकमात्र और सर्वोच्च साधन बनी हुई है, तो पक्षपातपूर्ण तत्व दल-बदल विरोधी कानून से निकाला जाना चाहिए और न्यायिक शक्ति को एक स्वतंत्र निकाय जैसे कि चुनाव आयोग को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

दल-बदल विरोधी कानून

- यदि एक व्यक्ति को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- यदि एक व्यक्ति को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- दसवीं अनुसूची के अलावा- संविधान की नौवीं अनुसूची के बाद, दसवीं अनुसूची को शामिल किया गया था जिसमें अनुच्छेद 102 (2) और 191 (2) को शामिल किया गया था।

संवैधानिक प्रावधान निम्नवत् हैं:

- 75 (1 क) यह बताता है कि प्रधानमंत्री, सहित मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्री परिषद लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 75 (1 ख) यह बताता है कि संसद या संसद के सदस्य जो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं और सदन के सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किये जा चुकें हैं तो उन्हें उस अवधि से ही मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा जिस तारीख को उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है।
- 102 (2) यह बताता है कि एक व्यक्ति जिसे दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा।
- 164 (1 क) यह बताता है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 164 (1 ख) यह बताता है कि किसी राज्य के किसी भी विधानमंडल सदन के सदस्य चाहे वह विधानसभा सभा सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य, वह किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो और वह उस सदन के सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किये जा चुकें हैं तो उन्हें उस अवधि से ही मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिस तारीख को उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है।
- 191 (2) यह बताता है कि एक व्यक्ति जिसे दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वह राज्य के किसी भी सदन चाहे वो विधान सभा हो या विधान परिषद, का सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य होगा।
- 361ख - लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता।

लाभ : पार्टी के प्रति निष्ठा के बदलाव को रोकने से सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। पार्टी के समर्थन के साथ और पार्टी के घोषणापत्रों के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए रखता है। इसके अलावा पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा देता है।

नुकसान: दलों को बदलने से सांसदों को रोकने से यह सरकार की संसद और लोगों के प्रति जवाबदेही कम कर देता है। पार्टी की नीतियों के खिलाफ असंतोष को रोकने से सदस्य की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करता है।

संभावित प्रश्न

''भारत में संसद हो या विधानसभा, उसमें बहुमत के परीक्षण करते समय हेरफेर को रोकने के लिए कानून में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है।'' इस कथन का विश्लेषण करें। **(200 शब्द)**